न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूॅंगरपुर

न्याय आपके द्वार शिविर ग्राम पंचायत कराडा दिनांक 30.5.2018

नाम पीठासीन अधिकारी – श्री गोपाललाल स्वर्णकार आरएएस उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या – 20/2016(आरटीए 212) दायर दिनांक– 21.11.2016

फैसल दिनांक – 30.5.2018

(केम्प कराडा)

1– डूॅंगर पिता वक्ता भगोरा जाति भील वगैरा (10)
निवासीयान धाणी खजूर तहसील सागवाडा

(प्रार्थी गण)

बनाम

1– श्री रमेश पिता धनजी पिता सोमा भगोरा वगैरा (27)
निवासीयान भेवडी धाणी खजूर तहसील सागवाडा

(अप्रार्थीगण)

वकील प्रार्थीगण – श्री अशोक कंसारा

वकील अप्रार्थीगण – श्री राकेश बुनकर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0टिनेन्सी एक्ट

निर्णय

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 मे वर्णित पेढीनामा के अनुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण मूल नाथू पिता रूपा भगोरा की संताने हैं । नाथू मूल खातेदार खाता संख्या 266 की आराजी नम्बर 9,10,11,12 रकबा दो बिघा 11 बिस्वा मोजा भेवडी धाणी खजूर ग्राम कराडा के मालिक थे । नाथू के फौत होने के बाद उसके वारिस में सोमा ,जोमना ,वक्ता,राजेंग, कमजी व मोगा के नाम नामान्तरकरण होकर इन्द्राज हुआ । उक्त सोमा ,जोमना,वक्ता,राजेंग ,कमजी व मोगा के फौत होने के बाद सिर्फ सोमा वारिसों के नाम से नामान्तरकरण खुला जिससे धनजी के फौत होने के बाद रमेश व देव ,सवजी ,दलजी,गणेश व मनजी के नाम से इंतकाली खोली परन्तु जोमना ,वक्ता ,राजेंग,सवजी व मोगा का आज दिन तक उनके वारिसों के नाम से नामान्तरकरण नहीं खूला परन्तु पीढीनामा में उनके वारिसों का हवाला दिया गया है । जब सोमा फौत होने के बाद उसके वारिसेां का नामान्तरकरण खूला व धनजी के फौत होने के बाद उसके वारिसेां के नाम नामान्तरकरण खूला तब राजस्व विभाग की गलती से प्रार्थीगण के पिता वक्ता व मोगा का नाम नाथू के वारिसान के रूप में दर्ज नही कर हटा दिया जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को तब हुई जब अप्रार्थीगण 5 व 13 के द्वारा प्रार्थी की फसल नष्ट करने की कोशिश की ।

यह कि प्रार्थीगण के पिता वक्ता ,मोगा पिसरान नाथू की संतान होने से व नाथू के फौत होने के बाद में वक्ता व मोगा उक्त आराजीयात पर काबिज हुए व मोगा के फौत होने के बाद प्रार्थीगण लगातार अपने हिस्से की जमीन पर काबिज होकर मालिक की तरह काश्त कर रहे है । प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के अन्त में प्रार्थीगण के संयुक्त खाता नम्बर 147 की आराजीयात नम्बर 9,10,11,12कुल किता चार रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा मोजा भेवडी धाणी

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

खजूर कराडा पर वादीगण को अपने 1/6,1/6 हिस्सें पर जाने से व काश्त करने से अप्रार्थी नम्बर 5 व 13 दखलंदाजी नहीं करें व रहन बे अथवा बक्षीस आदि करने से उन्हें जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से रोके जाने का निवेदन किया गया है ।

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र की पुष्टि में शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए नकल भूप्रबन्ध की खतोनी बन्दोवस्त संवत 2022 ,नामान्तरकरण ग्राम कराडा की प्रति , वर्तमान जमाबन्दी , खसरा गिरदावरी , जमाबन्दी खतोनी ग्राम कराडा का वाडा की प्रस्तुत की गई है ।

प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जवाब प्रस्तुत करने सम्मन जारी किए गए । अप्रार्थी संख्या 1,2,7,8,9,10,11,12,14,19,20,21,22,23,24,25,26 अनुपस्थित होने से एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए । उक्त एक पक्षीय कार्यवाही को दोतरफा किए जाने प्रार्थनापत्र वकील अप्रार्थी का प्रस्तुत होने पर एवं वकील प्रार्थी का नाएतराज होने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दो तरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए । अप्रार्थी संख्या 7,8,9,10,11,12,20,21,22,23,24,25,का जवाब दिनांक 20.3.2017 को एवं अप्रार्थी संख्या 3,4,5,6,13,15,16,17,18का जवाब दिनांक 17.4.17 को पेश होने पर वकील पक्षकारान को बहस हेतु अवसर प्रदान किया गया ।

पत्रावली राज्य सरकार के आदेशानुसार आज दिनांक 30.5.2018 को न्याय आपके द्वार शिविर ग्राम पंचायत मुख्यालय कराडा पर प्रस्तुत हुई ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया । वकील पक्षकारान को बहस हेतु लगभग दस अवसर प्रदान किए गए है । प्रकरण की अवधि को देखते हुए शीध्र निस्तारण की दृष्टि से पत्रावली का अवलोकन किया एवं उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया ।

पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में एवं सुविधा संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर वाद के निस्तारण तक प्रार्थीगण के संयुक्त खाता नम्बर 147 की आराजीयात नम्बर 9,10,11,12कुल किता चार रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा मोजा भेवडी धाणी खजूर कराडा पर वादीगण को अपने 1/6,1/6 हिस्सें पर जाने से व काश्त करने से अप्रार्थी नम्बर 5 व 13 दखलंदाजी नहीं करें व रहन बे अथवा बक्षीस आदि करने अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है ।

पत्रावली फैसल शुमार हो । नम्बर से कम हो मूल वाद प्रकरण के साथ संलग्न हो।

आदेश आज दिनांक 30.5.2018 को सुनाया गया ।

(गोपाललाल स्वर्णकार)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा
केम्प– कराडा

Scanned by CamScanner